न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/2318/2004/भरतपुर

कपूरचंद पुत्र रामदयाल जाति ब्राहमण निवासी रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– बाबू पुत्र बुद्वा
2– रोशनलाल पुत्र सरमन
जाति कोली निवासी रूपवास जिला भरतपुर।
3– रामदयाल पुत्र गिर्राज जाति ब्राहमण निवासी रूपवास जिला भरतपुर।

..... प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री वी0 श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य

उपस्थित :
श्री यज्ञदत्त शर्मा, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–2

दिनांक 02.7.2018

निर्णय

1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16–3–04 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

2– अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थीगण वादी ने विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर रूपवास में एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 1164 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा व 1166 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा वादीगण के बराबर खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है जिसका वादी संख्या–2 जरिये वसीयतनामा एम मात्र उत्तराधिकार है तथा मौके पर बाहैसियत खातेदार

काश्तकार काबिजकाश्त है। प्रतिवादी अपीलार्थी का विवादित आराजी से कोई सारोकार नहीं है। वादी संख्या 2 के पिता स्व. सरमन ने विवादित आराजीयात को कभी भी किसी रूप में प्रतिवादीगण को न तो कभी मुंतकिल किया है और न ही कभी कब्जा दिया है। वादीगण जाति से कोली अनुसूचित जाति के व्यक्ति है तथा प्रतिवादीगण ब्राहमण सवर्ण जाति के व्यक्ति है। प्रतिवादीगण विवादित आराजी से वादीगण को लठ के बल पर बैदखल करना चाहते है अतः उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबदं किया जावे। सहायक कलेक्टर रूपावास ने अपने निर्णय एंव डिक्री दिनांक 10–9–01 द्वारा वादी का वाद डिक्री कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 16–3–04 द्वारा खारिज कर दी। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई हैं।

3– विद्वान अभिभाषकगण उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने वादी का दावा मेरिट पर दिनांक 26–2–97 को निरस्त किया गया है जिसकी कोई अपील आज तक नहीं की गई। इसके बावजूद बिना किसी आधार पर विपक्षी का दावा पुनः नंबर पर लेकर परीक्षण न्यायालय ने डिक्री कर दिया। विवादित आराजी पर प्रतिवादी अपीलांट का मौके पर 20 वर्षो से कब्जाकाश्त है। बिना कब्जे के वादी का वाद डिक्री नहीं किया जा सकता था। धारा 188 का वाद वहीं खातेदार ला सकता है जो दावा दायरी के समय विवादित आराजी पर काबिजकाश्त हो। अपीलार्थी ने जवाबदावा प्रस्तुत किया जो पत्रावली पर शामिल नहीं किया गया। दावे में परीक्षण न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की तनकीयात कायम नहीं की गई है तथा नोन स्पीकिंग आदेश द्वारा वादी रेस्पोडेंट का वाद संक्षिप्त निर्णय से डिक्री किया है। परीक्षण न्यायालय ने मनमाने तरीके से वाद डिक्री किया है, जिसे अपीलीय न्यायालय ने भी बिना किसी आधार के समर्थन दिया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों की अनदेखी करते हुये नियमो से परे अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित

किया है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाकर यह द्वितीय अपील स्वीकार की जावे।

5— उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अभिकथन किया कि विवादित आराजी वादी को आवंटित की गई थी तथा आवंटन के आधार पर वादी पट्टेदार है। ऐसी स्थिति में खातदोर धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिये अधिकृत है। अपीलांट का अपील करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णय में विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज की जावे।

6— विद्धान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध निर्णयों के साथ संलग्न रिकोर्ड आदि का गहनता से अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया।

7— प्रश्नगत आराजी वादी रेस्पोडेंट के पट्टे की भूमि है एवं राजस्व रिपोर्ट खतौनी संवत् 2045—2048 प्रदर्श 1 खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की पट्टेदार के रूप में इंद्राज है एवं कस्टोडियन की भूमि होना राजस्व रिकोर्ड से साबित है। अपीलांट द्वारा नकल दैनिक घटना डायरी दिनांक 26—4—99 पेश की है जिसमें अपीलांट का 20 वर्ष से कब्जा बताया गया है, जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी ने विश्वसनीय नहीं माना है। हम राजस्व अपील प्राधिकारी के अभिमत से सहमत है कि उक्त दैनिक घटना डायरी अस्थाई रूप से परिवर्तनीय घटनाओं का इंद्राज मात्र है जिसे अपीलांट के किसी अन्य रिकोर्डेड खातेदार की भूमि पर 20 वर्ष से निरंतर कब्जे का प्रमाणिक साक्ष्य नहीं माना जा सकता। उक्त इंद्राजात भी वादी रेस्पोडेंट की अनुपस्थिति में तैयार किये गये है, अतः विश्वसनीय नहीं माने जा सकते। वादी अपीलार्थी द्वारा अपना वाद साक्ष्य, दस्तावेजात के माध्यम से परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में सफल होने की स्थिति में ही डिक्री किया गया है तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी परीक्षण न्यायालय के निष्कर्ष

को पुष्ट किया गया है। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों के समान निष्कर्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार है, जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि परीलक्षित नहीं है।

8 उपरोक्त विवेचना के आधार पर हमारा निष्कर्ष है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णयों में ऐसी कोई विधिक अथवा तात्विक त्रुटि जाहिर नहीं है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उक्त निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

9– परिणामतः हस्तगत अपील सारहीन होने से एतद्द्वारा खारिज की जाती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(आर.के.जायसवाल)
सदस्य

(वी0 श्रीनिवास)
अध्यक्ष